विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-47/17

मेसर्स बुरहानपुर टैक्सकोट इण्डस्ट्रीज — आवेदक
प्रो. श्री बिहारीलाल गणेशमल लखोटिया,
ग्राम–एमार्गिद, खेत खसरा नंब. 109/2,
लोधीपुरा, जिला–बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (इंदौर क्षेत्र) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इंदौर म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर म.प्र

आदेश

(दिनांक 08.03.2018 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0390817 मेसर्स बुरहानपुर टैक्सकोट इण्डस्ट्रीज, बुरहानपुर विरूद्ध कार्यपालक निर्देशक (इ क्षे), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–47/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 15.02.2018 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी एवं अनावेदक की ओर से श्री नितिन यादव, जूनियर इंजीनियर, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

04 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनका 100 केवीए का एक उच्चदाब विद्युत कनेक्शन ग्राम एमार्गिद, जिला– बुरहानपुर में स्थित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। आवेदक के संस्थान को 33 केवी इंडस्ट्रीयल फीडर से माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उच्चदाब टैरिफ की कंडिका 03 के अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

05 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके विद्युत कनेक्शन पर लागू टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका (डी) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करने वाले फीडर से संयोजित उपभोक्ता को 5 प्रतिशत फिक्स चार्जेस पर एवं 20 प्रतिशत न्यूनतम खपत पर छूट दिये जाने का प्रावधान है जो कि अनावेदक द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

06 आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उन्हें उच्चदाब कनेक्शन देने की तिथि से छूट दी जाये।

07 अनावेदक द्वारा अपनी लिखित बहस में यह भी बताया गया कि चूंकि उक्त कनेक्शन को 33 केवी इंडस्ट्रीयल फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । उच्चदाब टैरिफ अनुसार 03 की सामान्य निबंधन एवं शर्ते की कंडिका (डी) के अनुसार उपभोक्ता को नियत प्रभार एवं न्यूनतम खपत पर क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की छूट की पात्रता नहीं है क्योंकि परिवादी को इंडस्ट्रीयल फीडर से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है इस फीडर से शहरी क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय किया जाता है।

08 अनावेदक प्रतिनिधि जूनियर इंजीनियर, बुरहानपुर द्वारा तर्क के दौरान अवगत कराया गया कि मेसर्स बुरहानपुर टैक्सकोट इंडस्ट्रीज का उच्चदाब कनेक्शन ग्राम एमार्गिद, तहसील बुरहानपुर में स्थित है जो कि शहरी क्षेत्र में नहीं आता है, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम एमार्गिद बुरहानपुर नगर निगम सीमा में शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत लिखित बहस एवं तर्क सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आये–

अ आवेदक का एक उच्चदाब विद्युत कनेक्शन जिसकी की संविदा भार 100 केवीए हेतु ग्राम एमार्गिद में स्थित है जो कि पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

ब आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन को प्रचलित उच्चदाब टैरिफ 3 के अनुसार जो कि 33 केवी से टैरिफ लागू है से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

स प्रचलित टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका (डी) के अनुसार आवेदक को नियत प्रभार (फिक्स चार्जेस) को 5 प्रतिशत एवं न्यूनतम खपत में 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

द अनावेदक के अनुसार ग्राम एमार्गिद ना तो औद्योगिक विकास क्षेत्र है और न ही शासन द्वारा जारी किसी अधिसूचना से नगर निगम बुरहानुपर की सीमा में शामिल किया गया है।

09 म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ–13/05/13/2006 दिनांक 25.3.2006 में शहरी क्षेत्रों को दर्शाया गया है, इसके अलावा शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र है जिसके अनुसार ग्राम एमार्गिद पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निम्नदाब टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तों की कंडिका 1 से भी उपरोक्त अधिसूचना को मान्य किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि–

10 आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्राम एमार्गिद में स्थित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है।

11 अनावेदक के अनुसार आवेदक मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स, ग्राम–एमार्गिद, जिला–बुरहानपुर को 100 केवीए का उच्च्दाब विद्युत कनेक्शन 33 केवी लाईन पर दिनांक 17.11.2008 को प्रदाय किया गया।

12 अनावेदक का यह कहना कि आवेदक को औद्योगिक फीडर से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, अतः उन्हें छूट दिया जाना संभव नहीं है । यह कथन उचित एवं न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि फीडर का वर्गीकरण एवं नामकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है एवं जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता पर अपनी इच्छा अनुसार टैरिफ लागू करने का अधिकार नहीं है।

13 उपरोक्त तर्कों से यह स्पष्ट है कि आवेदक का उच्चदाब विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में है अतः प्रचलित टैरिफ की सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका (डी) के अनुसार नियत प्रभार एवं न्यूनतम खपत में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दी गई छूट दी जाना चाहिए।

14 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचालित टैरिफ में छूट दिये जाने का प्रावधान किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ निर्धारित करते समय सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को परिवर्तन करने हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत किया था जिसे कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा मान्य नहीं किया गया।

15 उपरोक्त के संदर्भ में निर्णय लेने से पूर्व टाईम लिमिटेशन एक्ट 1963 का अवलोकन किया गया जिसकी कंडिका 113 में 3 साल से अधिक की अवधि का क्लेम नहीं दिया जा सकता, जब तक कि लगातार इस संबंध में संबंधित को अवगत कराया जाता रहा हो। परन्तु इस प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रथम बार उपभोक्ता फोरम में दिनांक 4.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

16 अतः टाईम लिमिटेशन एक्ट 1963 की कंडिका 113 के अनुसार आवेदक को अप्रैल, 2015 से प्रचलित टैरिफ में दी गई सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियत प्रभार में 5 प्रतिशत एवं न्यूनतम खपत पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाना उचित होगा।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक अप्रैल, 2015 से माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ के अनुसार आवेदक को नियत प्रभार एवं न्यूनतम खपत में क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की छूट प्रदान करे।

ब आवेदक से उपरोक्त अवधि में यदि अधिक राशि जमा कराई गई है तो उसका समायोजन आगामी विद्युत देयकों में करें।

स फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

17 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

18 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल